निगरानी 434-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छत्तरपुर

मुलायम सिंह पिता श्री कल्लू सिंह निवासी–विताली पुरवा तहसील लवकुश नगर जिला छत्तरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. गीता सिंह पिता श्री बहादुर सिंह
2. देवी सिंह पिता श्री बहादुर सिंह
3. दिनेश सिंह पिता बहादुर सिंह
   निवासीगण – ग्राम ज्योराहा तहसील लवकुश नगर जिला छत्तरपुर
4. धूपसिह पिता गोकूल सिंह निवासी विताली पुरवा तहसील लवकुश नगर जिला छत्तरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार पठा तहसील लवकुश नगर जिला छत्तरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ6अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, भूमि सर्वे नं. 425/3, 425/6 रकवा क्रमशः 0.243, 0.575 है0 स्थित मौजा विताली पुरवा के उपरोक्त भूमियॉ पूर्व में बहादुर सिंह पिता गौरीशंकर के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमियॉ थीं। जिनको आवेदक ने 30 वर्ष पूर्व वाहमी तौर पर गीता के पति द्वारा क्रय की गयी थी एवं उसका उक्तानुसार सहमति के आधार पर नामान्तरण किया गया था।

2. यहकि, उपरोक्त नामान्तरण आदेश की जानकारी सर्व साधारण को लम्बे अर्से से चली आ रही है। इसके बावजूद अनावेदकगण ने एक आवेदन पत्र अवधि वाह्य रिकार्ड स्वीकार हेतु प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-439-एक/2015 जिला छतरपुर मुलायम विरूद्ध गीतासिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 28/अ6अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-02-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

25/01/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य